Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झालावाड़ में सरपंच 3 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *14 मार्च, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर झालावाड़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये रामबाबू मेधवाल सरपंच ग्राम पंचायत देवनगर, पंचायत समिति बकानी, जिला झालावाड़ को परिवादी से **3 लाख रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा ग्राम पंचायत देवनगर में करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यों के बकाया बिलों के भुगतान करवाने की एवज में रामबाबू मेधवाल सरपंच ग्राम पंचायत देवनगर, पंचायत समिति बकानी, जिला झालावाड़ द्वारा कुल बकाया राशि के 7 प्रतिशत कमीशन के रूप में **3 लाख 22 हजार रुपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, झालावाड़ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भवानी शंकर मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **श्री रमेशचन्द्र आर्य पुलिस निरीक्षक** मय टीम द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुये रामबाबू मेधवाल पुत्र श्री बालचंद निवासी सहकारी गोदाम के पास, देवनगर हाल सरपंच ग्राम पंचायत देवनगर, पंचायत समिति बकानी, जिला झालावाड़ को परिवादी से **3 लाख रूपये (50 हजार रुपये भारतीय मुद्रा एवं 2 लाख 50 हजार रुपये डमी केरेंसी)** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक, श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।